निविदा शुल्क राशि – 500/– + 18% GST
प्रक्रिया शुल्क राशि – 500/– + 18% GST
अमानत राशि – 40,000/–

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन न. 2227416, 2388643)

ऑनलाईन खुली प्रतियोगी बोली दस्तावेज
(Online – Bidding Document)

एकल प्रक्रम – द्वि–भाग बोली
(Single Stage – Two parts Bid)

मासिक एवं आवश्यकतानुसार समय–समय पर वाहन किराये पर लेने हेतु
(For Hiring of Vehicle on Monthly and Demand basis)

अनुमानित लागत राशि – 20.00 लाख

S.N.	Work/Activities	Date	Time
1	Date & Time of Bid issue	02.09.2019	-
2	Date & Time to download and submission of Bid	03.09.2019	03:00 PM
3	Last date & Time for download of Bid	13.09.2019	11:00 PM
4	Last date & Time for submission of Bid	13.09.2019	05:00 PM
5	Last date & Time for submit physical Demand Draft (DD)	16.09.2019	10:00 AM
6	Date & Time of Bid opening	16.09.2019	11:00 AM

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन न. 2227416, 2388643)

क्रमांक– प.8(20)ग्रावि/आरजीएवीपी/2017/4277 जयपुर, दिनांक: 02.09.2019

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कार्यालय में मासिक आधार पर एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार साधारण एवं वातानुकूलित वाहनों की सेवा किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी तथा अधिकृत ट्रैवल एजेन्सी/कंपनियों/फर्मों /एकल स्वामित्व आदि से कार्यालय की ओर से एकल प्रक्रम द्वि–भाग (भाग–1 तकनीकी बोली तथा भाग–2 वित्तीय बोली) खुली प्रतियोगी बोली निम्न प्रकार आमंत्रित की जाती है–

S.N.	Item/Activity	Particulars
1	Date of issue NIB	02-09-2019
2	Procurement title	Hiring agency to provide Vehicle service on monthly & as and when required basis (Demand basis)
3	Websites for downloading tender document and subsequent clarification/ modification, if any	https://eproc.rajasthan.gov.in https://sppp.rajasthan.gov.in www.rajeevika.rajasthan.gov.in
4	Cost of Bid document (Non-Refundable)	Rs. 500/- + 18% GST
5	e-tender processing fee (Non-Refundable)	Rs. 500/- + 18% GST
6	Estimated Annual Contract amount	Rs. 20,00,000/-
7	Earnest Money Deposit (EMD) amount	Rs. 40,000/-
8	Start date & time to download and submitting the Bid	03.09.2019 (03:00 PM)
9	Last date & time of download the bid	13.09.2019 (11:00 AM)
10	Last date & time for online Bid submission	13.09.2019 (05:00 PM)
11	Physical submission of original DD for Tender fee, EMD and e-tender Processing Fee at RGAVP	16.09.2019 (10:00 AM)
12	Date & Time for opening of Technical Bid	16.09.2019 (11:00 AM)
13	Date & Time for opening of Financial Bid of Technically qualified bidders	Subsequent to technical Bid opening (Date to be intimated later to the technically qualified bidders through e-procurement website)
14	Website for online bid submission	https://eproc.rajasthan.gov.in

1. बोली ई–उपापन (E- Procurement) प्रक्रियां से ऑनलाईन ही प्राप्त की जावेंगी। बोली में भाग लेने के लिये बोलीदाताओं को ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने के लिये राजस्थान सरकार के ई–उपापन पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है।

2. ई–उपापन की प्रक्रिया ई–उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्टानुसार होगी। बोलीदाता उक्त प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

3. बोली से संबधित सभी दस्तावेज यथा – बोली दस्तावेज मय बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश, नियम एवं शर्तें, संबधित प्रपत्रों आदि को बोलीदाताओं द्वारा राज्य लोक उपापन

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

पोर्टल http://sppp.raj.nic.in ई–उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.rajeevika.rajasthan.gov.in पर देखे व प्राप्त किये जा सकते है।

4. बोली प्रक्रिया शुल्क का डी.डी. MD, RISL के नाम तथा बोली प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि रू. 40,000/– का बैंक ड्राफ्ट (डी.डी.) State Rural Livelihood Mission के नाम बनवाकर दिनांक 16.09.2019, समय प्रातः 10:00 बजे से पूर्व राजीविका कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। भौतिक रूप से प्रस्तुत किये गये उक्त बैंक ड्रॉफ्ट की स्कैन की प्रति ऑनलाईन बोली के साथ अपलोड करनी होगी।
5. तकनीकी बोलियों को दिनांक 16.09.2019 समय प्रातः 11:00 बजे खोला जायेगा।
6. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कार्यालय बोलीदाताओं के प्रति किसी उत्तदायित्व को उपगत किये बिना बोली प्रक्रिया को रदद् का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. बोलीदाताओं को RGAVP द्वारा चाहे गये अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
8. बोलीदाता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी ऑनलाईन डाउनलोड किये गये बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर (पृष्ठ सं. 1 से 17) तथा वांछित दस्तावेजों पर भी अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करेंगे, तत्पश्चात् उसके अनुरूप ही Annexure-1 (बोली दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 10 पर उपलब्ध) को अपने लैटर पैड पर पूर्ण व सही रूप में भरेंगे। ऐसे हस्ताक्षरयुक्त व पृष्ठ संख्या अंकित किये हुये बोली दस्तावेज, वांछित दस्तावेज तथा Annexure-1 ही बोलीदाता द्वारा ई–उपापन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन अपलोड करने होंगे, उसके अभाव में बोली अमान्य होने की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
9. बोली दस्तावेजों, बोली दस्तावेज में वर्णित सेवाओं, अन्य सूचना इत्यादि के संबध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
10. मासिक आधार पर वाहनों की सेवाऐं एवं दरें राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F.2(4)FD/SPFC/2017, दिनांक 19.07.2018 व 28.02.2019 के अनुसार होगी तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर उपयोग मे लिये जाने वाले वाहनों हेतु बोलीदाता को वित्तीय प्रपत्र में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होगी।

परियोजना निदेशक (LPs & SHGs)
राजीविका

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
2. वित्तीय सलाहकार, राजीविका
3. राज्य परियोजना प्रबन्धक (प्रशासन/वित्त/उपापन), राजीविका।
4. प्रबन्धक (M&E) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
5. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (LPs & SHGs)

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन न. 2227416, 2388643)

तकनीकी बोली प्रपत्र

सेवामें,
परियोजना निदेशक,
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद,
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

विषय :– राजीविका कार्यालय द्वारा वाहन सेवाओं की आपूर्ति हेतु जारी बोली क्रमांक .... दिनांक .... के क्रम में बोली प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हमारी फर्म/एजेन्सी/कंपनी द्वारा मासिक व समय–समय पर आवश्यकतानुसार वाहन सेवाओं की आपूर्ति हेतु निम्नानुसार बोली प्रस्तुत की जाती है:–

1. बोलीदाता फर्म का नाम, पता मय टेलीफोन नं. :

   ....

   ....

2. बोलीदाता के घर का पता मय टेलीफोन नं. :

   ....

   ....

3. बोलीदाता के गैराज (यदि कोई हो तो) का पता मय टेलीफोन नं. :

   ....

   ....

4. बोली हेतु अरनेस्ट मनी राशि रूपये........................ बैक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक............................ बैक का नाम.. द्वारा जमा करा दी गई / प्रति संलग्न है।

5. बोलीदाता फर्म द्वारा पूर्व में अन्य सरकारी कार्यालय/ संस्थाओं को वाहन किराये पर दिये गये अनुबन्धों का विवरण (अनुबन्ध की प्रतियां संलग्न करें)

वर्ष	कुल लागत (रू. लाखों में)
2016–17	
2017–18	
2018–19	

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

6. बोलीदाता का आयकर पंजीकरण विवरण– ....

7. बोलीदाता का विगत तीन वर्ष का वित्तीय टर्न ओवर (चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।)

वर्ष	टर्न ओवर (रू. लाखों में)
2016–17	
2017–18	
2018–19	

8. प्रस्तावित वाहनों का विवरण (रजिस्ट्रेशन नं., इंश्योरेन्स, आर. टी.ओ. से Fitness, Pollution Certificate आदि की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।)

वाहन (नॉन एसी) वर्ष 2014 अथवा उसके बाद का मॉडल स्वीकार्य मॉडलवार विवरण	संख्या	वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं.	मॉडल
स्विफ्ट डीजायर			
इटिओस			
टवेरा			
इनोवा			

वाहन (एसी) वर्ष 2014 अथवा उसके बाद का मॉडल स्वीकार्य मॉडलवार विवरण	संख्या	वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं.	मॉडल
इटिओस			
इनोवा कार			
स्विफ्ट डीजायर			
टवेरा			

वाहन (नॉन एसी) वर्ष 2014 अथवा उसके बाद का मॉडल स्वीकार्य मॉडलवार विवरण	संख्या	वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं.	मॉडल
बस (40 सीटर)			
बस (30 सीटर)			

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

नोटः–

1. मासिक आधार पर अनुबन्धित किये जाने वाले वाहन उपरोक्त तालिका में वर्णित वाहनों में से चयनित वाहन होगें तथा लिखित स्वीकृति के बिना इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

2. जिन वाहनों का विवरण उक्त तालिका में दर्शाया गया है उनका भौतिक परीक्षण कार्यालय द्वारा आदेशित दिनांक को मय मूल दस्तावेज करवाया जायेगा।

3. समय–समय पर आवश्यकतानुसार अनुबन्धित किये जाने वाले वाहन भी तालिका में वर्णित मॉडल एवं परिवित भौतिक स्थिति से निम्न स्तर के स्वीकार्य नहीं होगे।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)
(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन न. 2227416, 2388643)

बोली की शर्तें

1. बोली में छः वर्ष से पुराने वाहनों को शामिल किया जाना प्रस्तावित नही है।
2. बोलीदाता को टैक्सी सेवायें प्रदान करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा बोलीदाता का पिछले तीन वर्षो का टर्नओवर न्यूनतम रू. 45.00 लाख होना चहिए, जिसके संदर्भ में बोलीदाता को चार्टेड़ अकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेन्स शीट की छायाप्रतियां बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
3. बोलीदाता द्वारा पूर्व में अन्य सरकारी कार्यालय/संस्थाओं को वाहन किराये पर दिये गये अनुबन्धों की प्रतियां बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
4. बोलीदाता द्वारा फर्म रजिस्ट्रैशन, पैन कार्ड, आयकर पंजीकरण विवरण, जीएसटी रजिस्ट्रैशन संबधी दस्तावेज बिड के साथ संलग्न करने होंगे।
5. बोलीदाता द्वारा दरें .xls (BoQ) प्रपत्र में ही अंकित की जावे। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। तकनीकी निविदा के साथ वित्तीय निविदा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा रदद् मानी जावेगी।
6. केवल तकनीकी रूप से सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली से संबधित ऑनलाईन बोलियां ही खोली जावेगी।
7. बोली बाल पेन से स्पष्ट रूप से भरी जावे। करेक्टिंग फल्यूड का इस्तेमाल न कर प्रत्येक कटिंग या ओवर राईटिंग पर लघु हस्ताक्षर करें। बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सील लगावें।
8. बोलीदाता स्वयं वाहन मालिक/टैवल्स एजेन्ट होना आवश्यक है।
9. उक्त दरें अनुबन्ध अबधि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवाऐं प्रदान करने पर सक्षम अनुमोदन के उपरान्त बढाया भी जा सकता है।
10. समस्त अस्थाई प्रकृति के करों यथा टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किग इत्यादि का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जायेगा। राज्य से बाहर जाने पर पथ कर एवं सर्विस टैक्स का भुगतान बोलीदाता को ही करना होगा।
11. वाहन टैक्सी नम्बर में पंजीकृत होना चाहिए तथा परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन का वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
12. वाहन सेवाओं की अनुपलब्धता एवं शिकायतें (चालक सम्बन्धी) पाई जाने पर 400/– प्रतिदिन का शास्ति (Penalty) विभाग द्वारा वसूल किया जावेगा।
13. बोली में दर्शाये गये वाहनों के टैक्स चुकता प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेन्स की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करें।
14. अनुबंध अवधि में वाहन बीमित होना आवश्यक है किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

15. बोलीदाता के पास बोली में दर्शाये गये कम से कम 4 ए.सी. वाहन स्वयं के नाम से रजिस्ट्रर्ड उपलब्ध होने चाहिए तथा स्टेट मिशन डायरेक्टर, कार्यालय द्वारा टेलीफोन पर सूचित करने पर 1 घंटे के भीतर वाहन उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा वाहन अन्यत्र से प्राप्त किया जायेगा जिस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (बोली के अन्तर्गत अनुमोदित दर से अधिक) की वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

16. विभाग को प्रेषित किये जाने वाले वाहन की Upholstery टूटी–फूटी नहीं हो। वाइपर, हैड लाइट एवं बेक लाइट, हार्न, इंडिकेटर सही कार्य कर रहे हो तथा खिडकियों में शीशे सही हालात में हो अन्यथा प्रत्येक कमी के लिये स्टेट मिशन डायरेक्टर द्वारा मनोनीत समिति के निर्णयानुसार जुर्माना करने का अधिकार होगा।

17. उपर्युक्त वाहनों के किमी. की गणना प्रतिदिन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् कार्यालय से अथवा जहाँ से वाहन कार्यालय उपयोग हेतु प्रारंभ होगा, की जावेगी न कि बोलीदाता के गैराज से , यह प्रक्रिया वापसी यात्रा के लिये मान्य होगी। वाहन में लगा हुआ मीटर प्रमाणिक रूप से सील किया हुआ होना चाहिये। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उपयोग में लिए गये किलोमीटर्स के निर्धारण हेतु स्टेट मिशन डायरेक्टर, कार्यालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

18. अनुबंधित वाहन कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायः 8.00 बजे तक साधारणतः कार्य करेगा। निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात वाहन काम में लेने हेतु पूर्व सूचना पर उपस्थित होना होगा, इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। बोलीदाता किसी प्रकार के ओवर टाईम की मांग नहीं करेगा। रात्रिभत्ता समय 11:00 बजे उपरान्त ही देय होगा।

19. यदि राजपत्रित अवकाश के दिन भी वाहन काम में लिया जाता है, तो इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

20. भविष्य में पेट्रोल/डीजल की दरों में घटत/बढत होती है तो विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

21. फर्म को उपयोग किये जाने वाले वाहनों का मासिक भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

22. फर्मो को ड्यूटी स्लिप के आधार पर बिल तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। ड्यूटी स्लिप को यात्रा करने वाले अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा तथा बिल के साथ ड्यूटी स्लिप की प्रति संलग्न करनी होगी।

23. विभाग द्वारा वाहन की माँग करने पर फर्म को डीजल/पेट्रोल/(फुल टैंक) करवाकर भिजवाना होगा तथा लम्बी दूरी के लिए इस हेतु चालक को राशि उपलब्ध करानी होगी।

24. विभाग को भिजवाये जा रहे वाहन के वाहन चालक के पास वैद्य ड्राईविंग लाइसेन्स हो एवं उसका बीमित होना एवं वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन चालक नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करता हो, सदाचारी एवं व्यवहार कुशल हो।

25. यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त/टूट–फूट/चालान आदि होने पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त स्थिति में होने वाले व्यय के लिये फर्म उत्तरदायी होगी। यदि दुर्घटना में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व फर्म का होगा।

26. बोली स्वीकृत होने पर अनुबन्ध के साथ सिक्योरिटी राशि अनुमानित लागत की पांच प्रतिशत राशि लागत अथवा बैंक राशि के रूप में जमा करनी होगी। स्टेट मिशन डायरेक्टर कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दें।

27. वर्ष 2018–19 का सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र सलंग्न करे।

28. बोली के साथ धरोहर राशि रूपये 40,000 (अक्षरे राशि चालीस हजार रू. मात्रे) का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक जो State Rural Livelihood Mission के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में बोली मान्य नही होगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत की दर से जमा करवानी होगी जिसमें धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी।

29. स्टेट मिशन डायरेक्टर कार्यालय के द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा और कोई शर्त मान्य नही होगी।

30. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के अभाव या बोलीदाता द्वारा अन्य कोई शर्त जोडने पर बोली अमान्य की जा सकती है।

31. किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट मिशन डायरेक्टर महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

32. वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

33. अनुबंध के अनुसार सेवा की आपूर्ति नही करने पर बोली निरस्त करते हुए जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

34. बोलदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/हिस्से या संपूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नही कर सकेगा।

35. फर्म/बोलीदाता द्वारा मरम्मत एवं रिपेयर का भुगतान स्वयं वहन करना होगा।

हमने बोली की समस्त शर्ते कम संख्या 1 से 35 पढ एवं समझ ली है व हमें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैनें/हमने जिन वाहनो के लिए बोली दी है, उनके लिए यदि वह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन न. 2227416, 2388643)

Annexure - 1

तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची/चैक लिस्ट

क्र.स.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न हा/नही	पेज संख्या
1	बोली प्रपत्र शुल्क राशि रू. 500/– का डीडी की स्कैन प्रति		
2	बोली प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 500/– का MD, RISL के नाम डीडी की स्कैन प्रति		
3	बोली धरोहर/अमानत राशि रू. 40,000/– का डीडी की स्कैन प्रति		
4	फर्म रजिस्ट्रेशन की प्रति		
5	फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, पैन कार्ड व आयकर विवरण की प्रतियां		
6	बोलीदाता फर्म द्वारा पूर्व में अन्य सरकारी/संस्थाओं को वाहन किराये पर दिये गये अनुबन्धों के विवरण की प्रतियां		
7	बोलीदाता फर्म के विगत तीन वर्ष के वित्तीय टर्न ओवर की प्रतियां		
8	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वाहनों संबधी विवरण		

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated.............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Project Director

The designation and address of the Second Appellate Authority is Head of Office

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc I

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc I

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date..

Appellant's Signature

Doc1

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Decl

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Doc1

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

Excel Print BOQ

Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: Project Director (LPs & SHGs), RGAVP

Name of Work: Hiring agency to provide Vehicle services

Contract No: F.8(20)RD/RGAVP/2017

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder Rs. P	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	13	53	55
1	**To travel outside from District (Min. 250 Km per day) - Rate provide in per Km. Note :- The number of vehicle may very as per requirement.**			
1.01	INNOVO CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
1.02	TAVERA CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
1.03	SWIFT DIZARE (AC)		0.00	INR Zero Only
1.04	TOYOTA ETIOS (AC)		0.00	INR Zero Only
2	**Local travel in Jaipur District (minimum 40 KM up to 4 hours) - Rate provide in consolidate amount The number of vehicle may very as per requirement.**			
2.01	INNOVO CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
2.02	TAVERA CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
2.03	SWIFT DIZARE (AC)		0.00	INR Zero Only
2.04	TOYOTA ETIOS (AC)		0.00	INR Zero Only
2.05	BUS (30 SEATER) NON AC		0.00	INR Zero Only
3	**Local travel in Jaipur District (minimum 80 KM up to 8 hours) - Rate provide in consolidate amount The number of vehicle may very as per requirement.**			
3.01	INNOVO CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
3.02	TAVERA CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
3.03	SWIFT DIZARE (AC)		0.00	INR Zero Only
3.04	TOYOTA ETIOS (AC)		0.00	INR Zero Only
3.05	BUS (30 SEATER) NON AC		0.00	INR Zero Only
4	**Local travel in Jaipur District (minimum 120 KM up to 12 hours) - Rate provide in consolidate amount The number of vehicle may very as per requirement.**			
4.01	INNOVO CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
4.02	TAVERA CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
4.03	SWIFT DIZARE (AC)		0.00	INR Zero Only
4.04	TOYOTA ETIOS (AC)		0.00	INR Zero Only
4.05	BUS (30 SEATER) NON AC		0.00	INR Zero Only
5	**Additional KM. Rate (when KM count is greater then any of above point 1, 2, 3 & 4) The number of vehicle may very as per requirement.**			
5.01	INNOVO CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
5.02	TAVERA CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
5.03	SWIFT DIZARE (AC)		0.00	INR Zero Only
5.04	TOYOTA ETIOS (AC)		0.00	INR Zero Only
5.05	BUS (30 SEATER) NON AC		0.00	INR Zero Only
6	**Night Stay charge (Rate provide/per night) The number of vehicle may very as per requirement.**			
6.01	INNOVO CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
6.02	TAVERA CAR (AC)		0.00	INR Zero Only
6.03	SWIFT DIZARE (AC)		0.00	INR Zero Only
6.04	TOYOTA ETIOS (AC)		0.00	INR Zero Only
6.05	BUS (30 SEATER) NON AC		0.00	INR Zero Only
Total in Figures			0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only		

कृपया उक्त प्रपत्र में दरें नहीं भरें. वित्तीय दरें केवल xls. (BoQ) में ही प्रविष्ट किया जावे।